HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5875/2026

1. Asharam S/o Narayan, Aged About 25 Years, R/o Pakhala, Police Station Bonli, District Sawai Madhopur (Raj.). (Presently Confined In District Jail Sawai Madhopur)
2. Devlal S/o Chhitarlal, Aged About 32 Years, R/o Pakhala, Police Station Bonli, District Sawai Madhopur (Raj.). (Presently Confined In District Jail Sawai Madhopur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, P.P. Mr. Samarth Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

20/05/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**03.12.2025** के विरूद्ध यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **439** दण्ड प्रक्रिया संहिता, उन्हें पुलिस थाना **बौंली, जिला–सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **334/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 118(2) व 110** भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–16240/2025 दिनांक 09.12.2025 को प्रत्याहृत किए जाने के आधार पर निरस्त किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूंठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थीगण दिनांक 12.11.2025 से अभिरक्षा में है, उनका यह भी तर्क है कि विचारण के दौरान मजरूबान शंकर, रामस्वरूप तथा चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी के बयान हो चुके हैं। उनका यह भी निवेदन है कि उनकी ओर से भी परिवादी पक्ष के विरूद्ध एक क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–335/2025 पुलिस थाना बौंली, जिला–सवाई माधोपुर में दर्ज करवाई गई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रामस्वरूप व शंकर को गम्भीर चोटें कारित हुई हैं, उनके विरूद्ध प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट अदम वकु (नकारात्मक) पेश की गई है। प्रकरण की प्रकृति गंभीर है, अतः प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों–वितर्कों पर विचार किया, आहतगण व चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्को, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आहतगण व चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षीगण के बयान, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/–रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां

इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. आशाराम पुत्र श्री नारायण तथा 2. देवलाल पुत्र श्री छीतर लाल** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/08